(5)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 53–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–12–2013 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार त्योंथर, वृत्त रामपुर, तहसील त्योंथर, जिला–रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 32/अ–27/2012–13

.....

1– जगजीवन पुत्र दुलारे कुम्हार,
2– सजीवन पुत्र दुलारे कुम्हार,
3– कल्लू पुत्र रामेश्वर कुम्हार,
4– रामशिरोमणि पुत्र रामेश्वर कुम्हार,
5– हरीलाल पुत्र रामेश्वर कुम्हार,
6– अच्छेलाल पुत्र रामेश्वर कुम्हार,
7– बबउआ पुत्र नचकऊ कुम्हार,
8– समनी पुत्री नचकऊ कुम्हार,
9– फूलकली पुत्री नचकऊ कुम्हार,
सभी निवासी–ग्राम ककरहा, तहसील त्योंथर,
जिला–रीवा (म0प्र0) ..... आवेदकगण

विरूद्ध

हिन्छलाल तनय दुलारे कुम्हार,
निवासी–ग्राम ककरहा, तहसील त्योंथर,
जिला–रीवा (म0प्र0)

.....

अनावेदक

.....

श्री अनीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदकगण,

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक २९ जून 2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार त्योंथर, वृत्त रामपुर, तहसील त्योंथर, जिला–रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–12–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, आवेदकगण एवं अनावेदक के संयुक्त खाते की भूमियां है। जिनके बंटवारा हेतु आवेदकगण ने संहिता की धारा 178 का आवेदन पत्र न्यायालय तहसीलदार त्योंथर, रीवा के समक्ष प्रस्तुत किया। आराजी खसरा नं0 544/2 की भूमि पर आवेदकगण एवं अनावेदक निवासरत है। आराजी खसरा नं0 642/2 का बंटवारा आवेदकगण के पिता एवं अन्य के मध्य हुआ था जिसमें से 642/2 दुलारे को प्राप्त हुआ तथा अन्य दो भाईयों को अलग भूमि से हिस्सा दिया गया। प्रकरण में आवेदकगण व अनावेदक द्वारा खसरा नं0 642 पर भी आपसी बटवारा हो चुका था। अनावेदक ने सड़क के किनारे सम्पूर्ण 642/2 के रकबे पर निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया था, जिसके विरूद्ध में आवेदकगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निर्माण कार्य रोकने हेतु स्थंगन का आवेदन पेश किया। तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 12.012.2013 को आवेदकगण के पक्ष में निर्माण न किये जाने बावत् स्थंगन आदेश पारित कर दिया तथा आगामी पेशी दिनांक 10.01.14 नियत की गई, किन्तु आवेदकगण को सूचना दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो स्थंगन आदेश पारित किया गया था, उसे समाप्त करते हुये दिनांक 19.12.2013 को अनावेदक के पक्ष में आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश दिनांक 19.12.2013 के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

3/ आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं, परन्तु फिर भी न्यायहित में प्रकरण के निराकरण हेतु आवेदक की निगरानी मेमो में उठाये तर्कों को ध्यान में रखकर प्रकरण का निराकरण किया जा रहा है। आवेदक की निगरानी मेमो में मुख्य रूप से यह तर्क अंकित है कि अधीनस्थ न्यायालय 12–12–2013 को स्थाई आदेश प्रदान कर पेशी दिनांक 10–01–2014 को नियत की गई थी तब दिनांक 19–12–2013 को

प्रकरण किस तरह से सुनवाई में लिया गया, इस बात का कोई उल्लेख दिनांक 19–12–2013 की आदेश पत्रिका में नहीं है। साथ ही किसी पक्ष द्वारा शीघ्र सुनवाई का कोई आवेदन पत्र भी नहीं दिया गया था, इसके बावजूद भी स्थगन आदेश निरस्त किये जाने में कानूनी भूल की गई है, जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्तगी योग्य है।

4/ अनावेदक अभिभाषक के विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि तहसीलदार ने स्थगन आदेश समाप्त कर उभय पक्ष की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण हेतु आदेश किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी मेमो एवं अनावेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने दिनांक 19–12–2013 को उसके द्वारा पूर्व में दिया गया स्थगन आदेश समाप्त किया। दिनांक 20–12–2013 को आदेश पत्रिका में तहसीलदार ने स्वयं के द्वारा पटवारी को मय रिकार्ड उपस्थित रहने तथा स्थल निरीक्षण किए जाने हेतु समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सूचित करने हेतु आदेशित किया। जहां तक 19–12–2013 के स्थगन आदेश समापत करने की आदेश पत्रिका में आगामी दिनांक 10–1–13 निर्धारित करने तथा उसके पूर्व ही 20–12–2013 को अगली कार्यवाही करने का तथ्य आवेदक द्वारा याचिका में उल्लिखित किया है उसमें दिनांक 10–1–13 किसी पक्ष द्वारा नोट नहीं की है तथा 20–12–2013 को तहसीलदार की आदेश पत्रिका मात्र स्थल निरीक्षण के लिए है निर्धारित उसमें किसी प्रकार का आदेश नहीं किया है। अतः तहसीलदार के उक्त आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। दिनांक 19–12–2013 को तहसीलदार द्वारा अन्तिम निर्णय नहीं किया है। मात्र स्थगन समाप्त किया है। स्थल निरीक्षण सभी हितबद्ध पक्षकारों की उपस्थिति में किया

जाएगा यह भी स्पष्ट है। अतः इस निगरानी के प्रचलित रहने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। तहसीलदार का आदेश दिनांक 19–12–2013 स्थिर रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर